4/1

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 11/2017 **वर्ष 2017**
आरसीएमएस संख्या 2017/000173
बउनवानी:–

1. रामकिशन पुत्र जयनारायण मीना, निवासी पीपलवाडा ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति कमला पत्नि जयनारायण मीना,निवासी पीपलवाडा,तह0व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. बहादुर पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी पीपलवाडा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. बत्तीलाल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी पीपलवाडा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. संजय पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी पीपलवाडा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. काली बाई पुत्री श्योराम जाति मीना निवासी पीपलवाडा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. कल्याणी बैवा श्योराम जाति मीना निवासी पीपलवाडा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. आवंटन सलाहकार समिति जरिये(अति.जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व मिसल संख्या 278/87 मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1987 द्वारा अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थित:–1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थीगण
2. श्री महावीर जाट पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 1.4.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1987 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम पीपलवाडा के निवासी है एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है। यह कथन भी किया कि आराजी ख0न0 91 वाके ग्राम मानराजपुरा तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित है जो काफी बडा रकबा है एवं सिवायचक रहा है। जिसमे विभिन्न लोगो को जरिये आवंटन भूमि आवंटित की गयी है। विपक्षीगण के पिता श्योराम को भी उक्त ख0न0 में दो बीघा भूमि आवंटित बतायी गयी है। श्योराम की मृत्यु हो जाने के उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मृतक श्योराम को ख0न0 91 में 2 बीघा भूमि का आवंटन बताया गया है जो विधि विरूद्व था क्योंकि आवंटन के समय मृतक श्यारोम भूमिहीन व्यक्ति नही था एवं उसके खाते में काफी जमीन थी इसलिए मृतक श्योराम भूमिहीन व्यक्ति नही होने के कारण उसके नाम किया गया आवंटन खारिज

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

4/2

किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के समय धारा 5 के अनुसार ना तो कोई अनओकेपोईड भूमि की सूची तैयार की गयी ना ही धारा 7 के अनुसार कोई उद्घोषणा जारी की गयी ऐसी सूरत में यह आवंटन विधि विरूद्व है। यह कथन भी किया कि मतृक श्योराम द्वारा जो आवेदन पत्र विपक्षी संख्या 6 को देना बताया गया है वह अपूर्ण है उसमें समस्त कॉलम खाली पडे है। इसके अलावा भी यह भूमि श्योराम के खेत के लगती हुई होने के कारण छोटी पटटी मानकर आवंटित की गयी है जैसा कि मौका रिपोर्ट में पटवारी द्वारा दर्ज किया गया है इसी से साबित होता है कि वरवक्त आवंटन श्योराम भूमिहीन नही था। इसके अतिरिक्त धारा 19 आवंटन रूल्स के अनुसार छोटी पटटी एक एकड से अधिक आवंटन नही हो सकती है जबकि यह भूमि 2 बीघा थी जिससे साबित होता है कि यह आवंटन नियम विरूद्व है। यह कथन भी किया कि आवंटन रूल्स 13 के अनुसार कोरम पूरा नही था ना ही रूल्स 13 का इस आवंटन में कोई पालन किया गया है क्योकि रूल्स 13 में स्पष्ट कानून उल्लेखित है कि समस्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किया जावेगा। लेकिन इस आवंटन में उपखण्ड अधिकारी उपस्थित नही थे उनके स्थान पर अति0 जिला कलेक्टर उपस्थित थे जिनके द्वारा यह आवंटन किया गया हैं ऐसी स्थिति में यह आवंटन रूल्स के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त आवंटन दिनांक को सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नही था क्योकि रूल्स 13 के सब रूल्स 3 क के अनुसार कोरम तभी पूरा माना जावेगा जब उपनियम 1 के खण्ड प्रथम,द्वितीय,तृतीय, मे से एक सदस्य कुल 3 सदस्य उपस्थित हो। इस मामले में राजस्थान विधान सभा के सदस्य की मौजूदगी के कोई हस्ताक्षर आवंटन आदेश पर नही है लिहाजा यह आवंटन बिना कोरम किया गया आवंटन है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं

यह कथन भी किया आंवटी मृतक श्योराम को यह आवंटन 27.6.1989 को किया जाना बताया गया है एवं कब्जा दिनांक 7.6.1990 को देना बताया गया है जो भी खिलाफ कानून है क्योकि रूल्स के अनुसार अलोटमेंट वाले साल में आवंटी को 50 प्रतिशत व अगले साल में सम्पूर्ण भूमि काश्त करना आवश्यक है जबकि इस मामले मे तो कब्जा ही अगले साल दिया जाना बताया गया है किन्तु मृतक श्योराम को कभी कोई कब्जा आवंटित भूमि पर नही दिया गया है। मृतक श्योराम को आवंटित भूमि ख0न0 91 के नये नम्बर ख0न0 10/1 रकबा 0.51 है0 बनाया गया है लेकिन इस नम्बर पर आज तक भी श्योराम या उसके वारिसान का कब्जा नही है बल्कि प्रार्थीगण के कब्जा है। इस प्रकार उक्त आवंटन अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे आता है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन आदेश का कोई इल्म नही था क्योंकि प्रार्थीगण ख0न0 10/1 पर काबिज है सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 11.6.2015 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उपजिला

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

4/3

कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उनवानी रामकिशन बनाम सरकार में प्रेषित रिपोर्ट को पढ़ने पर दिनांक 20.3.2017 को प्राप्त हुई है। आवंटन आदेशों को निरस्त करने की कोई मियाद नही होती है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर मृतक श्योराम के पक्ष मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1987 को निरस्त किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

चूंकि अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है किन्तु आवंटन सलाहाकर समिति की ओर से बहस पैरोकार राजस्व की सुनी गयी। पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी श्योराम के पक्ष मे किया गया आवंटन विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। क्योंकि वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन मे अप्रार्थी को भूमिहीन नही बताया गया है किन्तु यह भी नही बताया कि आवंटी के खाते में वरवक्त आवंटन कितनी भूमि थी जिसके कारण वह भूमिहीन नही था। जहॉ तक आवंटन आदेश पर उपजिला कलेक्टर के स्थान पर अति0 जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर है तो इस आधार पर आवंटन खारिज नही किया जा सकता है क्योंकि अभियान के दौरान सम्पूर्ण जिलें में अति0 जिला कलेक्टर नही जा सकता है इसलिए प्रत्येक तसहील क्षेत्र के लिए उपजिला कलेक्टर को शिविर प्रभारी लगाया जाता है ओर शिविर प्रभारी की हेसियत से उपजिला कलेक्टर को शिविर की सारी गतिविधिया सम्पादित करता है किन्तु यदि अति0 जिला कलेक्टर शिविरों के निरीक्षण के दौरान यदि शिविर में मौजूद है तो आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर कर सकता है। तथा आवंटन सलाहकार समिति की कौरम भी पूर्ण है क्योकि पांच सदस्यों की कोरम में से 2/3 सदस्य होना आवश्यक है जो उक्त आवंटन आदेश की आवंटन सलाहकार समिति में मौजूद थे। आवंटी द्वारा ऐसा कोई तथ्य नही छिपाया है। जहॉ तक प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त नही करने का प्रश्न है तो कब्जा जब एक वर्ष बाद दिया गया है जो प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करना कैसे सम्भव हो सकता है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी एवं उसके पश्चात उसके वारिसान को उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है तथा इतने वर्षो बाद केवल उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया हो। किन्तु उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। तथा उक्त आवंटित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय में 136 एलआरएक्ट को वाद विचाराधीन है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी श्योराम के पक्ष मे दिनांक 27.6.1987 को किये गये विधिवत आवंटन को यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी को भूमिहीन नही होना कथन किया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हों। केवल मात्र आवंटन आदेश पर अति0 जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होने के आधार पर आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन की पृष्टि में ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व होता हो कि आवंटी श्योराम को दिनांक 27.6.1987 को किया गया आवंटन विधिविरूद्व है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित आराजीयात को लेकर प्रार्थी द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रकरण पेश किया गया था जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी श्योराम के पक्ष किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1987 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: